

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, (प्रशासन), हरदोई।

पत्रांक 371/सा0प्रशा0/स0सु0(मार्ग गति निबन्धन सूचना)/2020

दिनांक 22.06.2020

अधिसूचना

चूंकि केन्द्रीय मोटरवाहन अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, 1988) की धारा-112 की उपधारा (2) में प्राविधानित है कि राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जनता की सुरक्षा, सुविधा या किसी सड़क अथवा पुल के खराब होने के कारण जनहित में मोटरयानों/विभिन्न श्रेणी के मोटरयानों की उक्त धारा की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को उक्त कारणों से संतुष्ट होने पर प्रतिबंधित किया जा सकता है :

और जहाँ उक्त अधिनियम की धारा-112 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुसरण में उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा, उत्तरप्रदेश मोटरयान नियमावली-1998 के नियम 178 द्वारा जनपद के रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, को नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों की अधिकारिता क्षेत्रों के भीतर यान की श्रेणी या श्रेणियों की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या-1377 दिनांक 06.04.2018 द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को जनहित में उपर्युक्त प्राविधानों के दृष्टिगत संतुष्ट होने पर प्रतिबंधित करने का अधिकार प्रदत्त किया गया है :

उपरोक्त के दृष्टिगत परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा पत्र सं0 1986स0सु0/2019-44स0सु0/2014-17 दिनांक 19.12.2019 तथा पत्र सं0 464स0सु0/2020-44स0सु0/2014-19 दिनांक 04.03.2020 एवं पत्र सं0 - 456स0सु0/2020-44स0सु0/2014-20 दिनांक 08.06.2020 के माध्यम से दिये गये निर्देशों के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हरदोई के पत्र सं0 358/सा0प्रशा0/2020 दिनांक 19.06.2020 के माध्यम से परिवहन आयुक्त उ0प्र0 द्वारा निर्धारित किये गये प्रारूप में वांछित मार्गों/निर्धारित गति सीमा संबंधित सूचना उपलब्ध कराने हेतु अपेक्षा की गयी जिसके क्रम में अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हरदोई द्वारा पत्र सं0 1126/सी-1/2020 दिनांक 22.06.2020 के माध्यम से उक्त सूचना निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध करायी गयी है, जिसे मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या-59, 1988) की धारा 112 की उपधारा (2) के साथ पठित उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम-178 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरदोई जनपद होकर निकलने/चलने वाले नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र का छोड़कर अन्य क्षेत्रों में मार्गों या मार्गों के अंश पर संचालन हेतु वाहनों की अधिकतम गति सीमा निम्नलिखित रूप से निर्धारित की जाती है :-

क्र0 सं0	जनपद/खण्ड का नाम	मार्ग का नाम एवं संख्या	चैनेज (कहाँ से कहाँ तक)	निर्धारित गति सीमा
1	प्रान्तीय खण्ड, हरदोई	पलिया-लखनऊ मार्ग कि0मी0 160 से 224 तक राज्य मार्ग सं0 - 25	159.500 से 224 तक	80 कि0मी0/घण्टा
2	प्रान्तीय खण्ड, हरदोई	विलरायां पनवारी मार्ग कि0मी0 135.700 से 160 तक राज्य मार्ग सं0- 21	135.700 से 158.500 तक	80 कि0मी0/घण्टा
3	निर्माण खण्ड-1, हरदोई	पलिया लखनऊ मार्ग कि0मी0 117.00 से 160.00 तक राज्य मार्ग सं0- 25	117.00 से 158.500 तक	80 कि0मी0/घण्टा
4	निर्माण खण्ड-1, हरदोई	हरदोई बावन सवायजपुर मार्ग कि0मी0 0.00 से 32.00 तक राज्य मार्ग सं0 29	0.000 से 32.000 तक	80 कि0मी0/घण्टा
5	निर्माण खण्ड-1, हरदोई	बिलरायां पनवारी मार्ग कि0मी0 160.00 से 190.00 तक राज्य मार्ग सं0 21	160.00 से 190.00 तक	80 कि0मी0/घण्टा
6	निर्माण खण्ड-2, हरदोई	बिलरायां पनवारी मार्ग कि0मी0 190.00 से 222.325 तक राज्य मार्ग सं0 21	190.00 से 222.325 तक	80 कि0मी0/घण्टा

	निर्माण खण्ड-2, हरदोई	बिलग्राम-ऊँचाहार इलाहाबाद कि०मी० 0.00 से 30.00 तक राज्य मार्ग सं० - 38	0.00 से 30.00 तक	80 कि०मी० / घण्टा
8	निर्माण खण्ड-2, हरदोई	बिलग्राम-साण्डी-अन्तागंज मु०जि०मार्ग - 26 सी	0.00 से 54.00 तक	80 कि०मी० / घण्टा
8				
1	प्रान्तीय खण्ड, हरदोई	सण्डीला-अतरौली-भटपुर गोमती नदी तक अन्य जिला मार्ग	0.00 से 32.00 तक	50 कि०मी० / घण्टा
2	प्रान्तीय खण्ड, हरदोई	कोधावा-माल मार्ग अन्य जिला मार्ग	0.00 से 32.60 तक	50 कि०मी० / घण्टा
3	प्रान्तीय खण्ड, हरदोई	प्रताप-नगर माधौगंज मार्ग अन्य जिला मार्ग	0.00 से 20.40 तक	50 कि०मी० / घण्टा
4	प्रान्तीय खण्ड, हरदोई	पिहानी गोपामऊ मार्ग (पी०एम०जी०एस०वाई०) अन्य जिला मार्ग	0.00 से 14.00 तक	50 कि०मी० / घण्टा
5	प्रान्तीय खण्ड, हरदोई	इटौली गोपामऊ मार्ग (पी०एम०जी०एस०वाई०) अन्य जिला मार्ग	0.00 से 12.00 तक	50 कि०मी० / घण्टा
6	प्रान्तीय खण्ड, हरदोई	इटौली गोपामऊ मार्ग (पी०एम०जी०एस०वाई०) अन्य जिला मार्ग	0.00 से 7.94 तक	50 कि०मी० / घण्टा
7	प्रान्तीय खण्ड, हरदोई	हरदोई रेलवे फीडर अन्य जिला मार्ग	0.00 से 0.39 तक	50 कि०मी० / घण्टा
8	प्रान्तीय खण्ड, हरदोई	पिहानी-बूढ़ा गांव मार्ग (पी०एम०जी०एस०वाई० में 08 कि०मी०) अन्य जिला मार्ग	0.00 से 9.00 तक	50 कि०मी० / घण्टा
9	प्रान्तीय खण्ड, हरदोई	टड़ियावा-दधनामऊ मार्ग अन्य जिला मार्ग	0.00 से 15.00 तक	50 कि०मी० / घण्टा
10	निर्माण खण्ड-1, हरदोई	साण्डी शाहाबाद मार्ग। अन्य जिला मार्ग।	0.00 से 38.00 तक	50 कि०मी० / घण्टा
11	निर्माण खण्ड-1, हरदोई	ऐंगवा रेलवे फीडर मार्ग। अन्य जिला मार्ग	0.00 से 3.15 तक	50 कि०मी० / घण्टा
12	निर्माण खण्ड-1, हरदोई	टोडरपुर धनवार टोडरपुर रेलवे फीडर सहादत नगर मार्ग। अन्य जिला मार्ग।	0.00 से 8.60 तक	50 कि०मी० / घण्टा
13	निर्माण खण्ड-1, हरदोई	कौड़ा रेलवे फीडर मार्ग। अन्य जिला मार्ग	0.00 से 0.63 तक	50 कि०मी० / घण्टा
14	निर्माण खण्ड-1, हरदोई	हरपालपुर चौसार श्रीमऊ मार्ग। अन्य जिला मार्ग	0.00 से 17.00 तक	50 कि०मी० / घण्टा
15	निर्माण खण्ड-1, हरदोई	शाहाबाद पाली सैदपुर मार्ग। अन्य जिला मार्ग	0.00 से 28.60 तक	50 कि०मी० / घण्टा
16	निर्माण खण्ड-1, हरदोई	बेहटा गोकुल मंसूर नगर मार्ग। अन्य जिला मार्ग।	0.00 से 17.80 तक	50 कि०मी० / घण्टा
17	निर्माण खण्ड-1, हरदोई	अनंगपुर पिपरिया शाहाबाद बासतनगर मार्ग। अन्य जिला मार्ग।	0.00 से 15.30 तक	50 कि०मी० / घण्टा
18	निर्माण खण्ड-1, हरदोई	आंझी आलमनगर मार्ग। अन्य जिला मार्ग।	0.00 से 23.50 तक	50 कि०मी० / घण्टा
19	निर्माण खण्ड-1, हरदोई	हरदोई साण्डी मार्ग। अन्य जिला मार्ग।	0.00 से 22.37 तक	50 कि०मी० / घण्टा
20	निर्माण खण्ड-1, हरदोई	एच०बी०एस० मार्ग के कि०मी० 18 से औहदपुर ज्ञानपुर सकरीली नसीली गोपाल सिकन्दरपुर नरकतरा होते हुए शाहाबाद पाली सैदपुर मार्ग, अन्य जिला मार्ग	0.00 से 29.22 तक	50 कि०मी० / घण्टा
21	निर्माण खण्ड-1, हरदोई	पिहानी करावा सेमरावा मार्ग। अन्य जिला मार्ग।	0.00 से 16.75 तक	50 कि०मी० / घण्टा
22	निर्माण खण्ड-1, हरदोई	पयदेउरा से सहजनपुर होते हुए रामापुर छैया मार्ग। अन्य जिला मार्ग।	0.00 से 43.98 तक	50 कि०मी० / घण्टा

	निर्माण खण्ड-1, हरदोई	शारदा कैनाल पटरी मार्ग। अन्य जिला मार्ग	0.00 से 27.95 तक	50 कि०मी० / घण्टा
24	निर्माण खण्ड-1, हरदोई	शाहाबाद पिहानी मार्ग। अन्य जिला मार्ग।	0.00 से 25.00 तक	50 कि०मी० / घण्टा
25	निर्माण खण्ड-1, हरदोई	पिहानी जंगबहादुर गंज मार्ग अन्य जिला मार्ग।	0.00 से 17.35 तक	50 कि०मी० / घण्टा
26	निर्माण खण्ड-2, हरदोई।	प्रतापनगर माधौगंज मार्ग अन्य जिला मार्ग	0.00 से 17.79 तक	50 कि०मी० / घण्टा
27	निर्माण खण्ड-2, हरदोई।	सण्डीला-कासिमपुर-बांगरमऊ मार्ग (0.00 से 19.700) अन्य जिला मार्ग	0.00 से 19.70 तक	50 कि०मी० / घण्टा
28	निर्माण खण्ड-2, हरदोई।	सण्डीला-गौसगंज-मल्लावा-मैहदीघाट मार्ग अन्य जिला मार्ग	0.00 से 50.08 तक	50 कि०मी० / घण्टा
29	निर्माण खण्ड-2, हरदोई।	साण्डी बघौली मार्ग अन्य जिला मार्ग	0.00 से 19.35 तक	50 कि०मी० / घण्टा
30	निर्माण खण्ड-2, हरदोई।	बिलग्राम-नेकपुर-नेवादा रामपुर मझियारा मार्ग अन्य जिला मार्ग	0.00 से 12.08 तक	50 कि०मी० / घण्टा
31	निर्माण खण्ड-2, हरदोई।	चौधरिया-नेकपुर-नेवादा मार्ग अन्य जिला मार्ग	0.00 से 10.00 तक	50 कि०मी० / घण्टा
32	निर्माण खण्ड-2, हरदोई।	रुदामऊ गौरा मार्ग अन्य जिला मार्ग	0.00 से 07.20 तक	50 कि०मी० / घण्टा
33	निर्माण खण्ड-2, हरदोई।	माधौगंज सेलापुर मैहदीघाट मार्ग अन्य जिला मार्ग	0.00 से 18.40 तक	50 कि०मी० / घण्टा
34	निर्माण खण्ड-2, हरदोई।	बी०पी० मार्ग से सुरसा बीकापुर बन्नापुर मार्ग अन्य जिला मार्ग	0.00 से 19.33 तक	50 कि०मी० / घण्टा
35	निर्माण खण्ड-2, हरदोई।	माधौगंज नयांगांव मार्ग अन्य जिला मार्ग	0.00 से 11.60 तक	50 कि०मी० / घण्टा

गति संबंधी उपरोक्त प्रतिबंध निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रभावी होगा :-

- (1) मोटरयान अधिनियम, 1998 की धारा-116 में विनिर्दिष्ट साइन बोर्ड प्रतिबंधित स्थान के दोनो छोर-प्रारम्भिक एवं अन्तिम बिन्दु पर तथा मध्य में भी जगह-जगह पर आई०आर०सी० कोड के मानक अनुसार संबंधित सड़क के स्वामित्व वाले विभाग द्वारा इस प्रकार लगाया जायेगा कि वाहन चालकों को इसकी जानकारी व ज्ञान हो सके तथा वे रात्रि में भी चमके इसके लिये रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप का प्रयोग किया जायेगा।
- (2) उक्त प्रतिबंध केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 में विनिर्दिष्ट निम्न प्रकार के वाहनों पर लागू नहीं होगा-
 - (अ) अग्नि शमन वाहन
 - (ब) एम्बुलेंस
 - (स) पुलिस वाहन
 - (द) कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में लगे सैन्य बल तथा अर्ध सैन्य बल के लिये प्रयुक्त होने वाले वाहन।
 - (य) प्राकृतिक आपदा के प्रबंधन के लिये प्रयुक्त वाहन।
- (3) उपरोक्त तालिका के कॉलम-3 में उल्लिखित स्थानों को छोड़कर जनपद के सभी मार्गों के अन्य क्षेत्रों (नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर) में केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा-112 की उप धारा (1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना संख्या 1377, दिनांक 06.04.2018 समय-समय पर यथा संशोधित द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा यथावत लागू रहेगी।

आज्ञा से
 22/6/20
 सहायक सभागीय परिवहन अधिकारी /
 रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, जनपद हरदोई।

for [Signature] 23/6/20

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, जनपद हरदोई।